न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

अपील संख्या–10/2021 (सू0 का अधि0)
जीसीएमएस नं0 2021/138

श्री विजय सिंह पालीवाल, केमीकल इंजिनियर, फाउण्डर मेम्बर एवं कॉ आर्डिनेटर इण्डियन अगेन्स्ट करप्सन पालीवाल कम्पाउण्ड छावनी कोटा–324007 मो0 नं0 9414178255

–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा कोटा।
–प्रत्यर्थी

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 23/6/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं श्री विजय सिंह पालीवाल, केमीकल इंजिनियर, फाउण्डर मेम्बर एवं कॉ आर्डिनेटर इण्डियन अगेन्स्ट करप्सन पालीवाल कम्पाउण्ड छावनी कोटा, के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहॉ एक प्रार्थना पत्र प्रेषित कर श्री गजेन्द्र सिंह तहसीलदार लाडपुरा हाल तहसीलदार नगर विकास न्यास कोटा के बाबत निम्न सूचना चाही गई–

1. गजेन्द्र सिंह के विरूद्व कुल कितनी विभागीय कार्यवाही 16 सीसीए के अन्तर्गत चल रही है तथा उनमें जो कार्यवाही आपके विभाग द्वारा की गई है या की जा रही है, के बाबत् सम्पूर्ण सूचनाऐं उपलब्ध करवायें ।
2. गजेन्द्र सिंह के विरूद्व कुल कितनी विभागीय कार्यवाही 17 सीसीए के अन्तर्गत चल रही है तथा उनमें जो कार्यवाही आपके विभाग द्वारा की गई है या की जा रही है के बाबत सम्पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करवाये ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. गजेन्द्र सिंह के विरूद्व कुल कितनी शिकायतें सतर्कता, लोकायुक्त एवं राजस्थान सरकार के पास लम्बित है व कितनी शिकायतों पर जांच चल रही है यह समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करवायें ।
4. समय–समय पर होने वाली ऑडिट व उच्च अधिकारियों के निरीक्षण में मोहनलाल प्रतिहार के विरूद्व कितने प्रकरण पद के दुरूपयोग, राजस्व हानि, गैर कानूनी कार्य, नियम विरूद्व कार्य व अन्य को लाभ पहुंचाने के बारे में चल रही है, उनकी समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करवायें ।
5. गजेन्द्र सिंह के विरूद्व सर्विस रिकार्ड में कितने प्रकरणों में इन्हें सजा मिली तथा कौनसी सजा मिली इसका सम्पूर्ण विवरण / रिकार्ड उपलब्ध करवायें ।

उपरोक्त सूचना नहीं मिलने पर प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय को प्रेषित की गई जो दिनांक 20.4.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी, एवं अति0 जिला कलक्टर, कोटा से टिप्पणी एवं रेकार्ड तलबी हेतु लिखा जाने पर जाने पर पत्रांक/सूचना/प्रथम –अपील/(प–32/21)/2021/250 दिनांक 21.6.2021 से टिप्पणी मय रेकार्ड इस न्यायालय को प्राप्त हुआ । कोरोना वायरस संक्रमण एवं लोकडाउन के कारण अपीलार्थी को तलब नहीं किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा ने अपनी टिप्पणी में अवगत कराया है कि ''आवेदक द्वारा आवेदन में वर्णित बिन्दु की सूचना का संबंध स्थापना /सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा से होने के कारण स्थापना/सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा को सूचना चाहने हेतु पत्र लिखा गया । स्थापना/सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट कोटा से सूचना प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक/सूचना/(प–32/21) 2021/246 दिनांक 16.6.2021 से सूचना आवेदक को जर्ये डाक से भिजवा दी गयी है जिसकी छाया प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है । चूंकि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदक को उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है । अतः अपील खारिज फरमाये जाने की व्यवस्था फरमावें ।''

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना दी जा चुकी है, किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 04 माह से भी अधिक समय बाद पत्र दिनांक 16.6.2021 से प्रार्थी अपीलांट को भिजवाई गई है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के विपरीत है । कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए

जिला कलेक्टर
कोटा

अपीलांट को तलब नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर ही करना उचित समझते है ।

पणिामस्वरूप प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में प्रार्थी अपीलांट को सूचना भिजवाई जा चुकी है ऐसी स्थिति में अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सूचना नियत समय पर दी जावें, भविष्य में इसका ध्यान रखा जावें

निर्णय आज दिनांक 23.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा